राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोविन्दराम बनाम कमली देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/25	486/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 05/07/2013 पारित करते हुये उभयपक्षकारान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/06/2024 पारित करते हुये अन्तरिम आदेश दिनांक 05/07/2013 को ता.फैसला वाद स्थाई किया जाकर पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुये पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद स्थाई किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तिम निस्तारण करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमश: प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परिक्षण/विवेचन किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये ताफैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की आड़ में रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, जिससे अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोविन्दराम बनाम कमली देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों का अनुसरण किये बगैर ही अर्थात प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमश: प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/06/2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमश: प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विस्तृत परिक्षण/विवेचन कर विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर